इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. 9110/वि.स./विधान/2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 16 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 30 मार्च 2012 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०१२

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, २०१२

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ४ का संशोधन.
३. धारा ४-ख का संशोधन.
४. धारा ४-ग का संशोधन.
५. धारा ५ का संशोधन.
६. धारा ५-ख का संशोधन.
७. धारा ६-क का संशोधन.
८. धारा ६-ख का संशोधन.
९. धारा ६-ग का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०१२

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, २०१२

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

धारा ४ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ में शब्द "सोलह हजार" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार" स्थापित किये जाएं.

धारा ४-ख का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ४-ख में, शब्द "चार हजार" के स्थान पर शब्द "दस हजार" स्थापित किये जाएं.

धारा ४-ग का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ४-ग में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर "दस हजार" स्थापित किये जाएं.

धारा ५ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ५ में, शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार" स्थापित किये जाएं.

धारा ५-ख का संशोधन. ६. मूल अधिनियम की धारा ५-ख में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाएं. अर्थात्:—

"(३) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कोई सदस्य मध्यप्रदेश राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है, तो वह ऐसी यात्रा के लिए वायुयान के किराए की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन ऐसी यात्राओं की कुल संख्या प्रतिवर्ष चौंतीस से अधिक नहीं होगी.".

धारा ६-क का संशोधन. ७. मूल अधिनियम की धारा ६-क में, उपधारा (१) में,—

(एक) प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द "सात हजार" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह हजार" स्थापित किए जाएं;

धारा ६-ख का संशोधन. (दो) प्रथम परंतुक में, शब्द "तीन सौ" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ" स्थापित किए जाएं.

धारा ६-ग का संशोधन. ८. मूल अधिनियम की धारा ६-ख में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" स्थापित किए जाएं.

९. मूल अधिनियम की धारा ६-ग में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हाल ही के वर्षों में मुद्रा-स्फीति के कारण मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों को दिये जाने वले भत्तों, पेंशन एवं परिवार पेंशन में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है. यह भी विनिश्चित किया गया है कि सदस्यों को उनके उत्तरदायित्वों को निष्पादित करने के लिए राज्य के भीतर हवाई जहाज से यात्रा करने की सुविधा दी जाये. अतएव, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : २९ मार्च, २०१२

गोपाल भार्गव
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित''.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २, ३, ४, ५, ६, ७, ८एवं ९ में प्रस्तावित प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये २०,००,००, ०००/- (रुपये बीस करोड़) मात्र का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168] भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2012—चैत्र 11, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. 1985-129-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 16 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 16 of 2012

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of section 4.
3. Amendment of section 4-B.
4. Amendment of section 4-C.
5. Amendment of section 5.
6. Amendment of section 5-B.
7. Amendment of section 6-A.
8. Amendment of section 6-B.
9. Amendment of section 6-C.

MADHYA PRADESH BILL
No. 16 of 2012

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

Amendment of Section 4.

2. In Section 4 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "sixteen thousnad", the words "twenty five thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 4-B.

3. In Section 4-B of the principal Act, for the words "four thousand", the words "ten thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 4-C.

4. In Section 4-C of the principal Act, for the words "five thousand", the words "ten thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 5.

5. In Section 5 of the principal Act, for the words "five hundred", the words "one thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 5-B.

6. In Section 5-B of the principal Act, after sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) Without prejudice to the provisions of this Act, where a member travels by air within the State of Madhya Pradesh from one place to another, he shall be entitled to reimbursement of the air fare of such journey:

Provided that the total number of such journeys under this sub-section shall not be more than thirty four per year.".

7. In Section 6-A of the principal Act, in sub-section (1),— **Amendment of Section 6-A.**

(i) in the opening paragraph, for the words "seven thousand", the words "fifteen thousand" shall be substituted;

(ii) in the first proviso, for the words "three hundred", the words "five hundred" shall be substituted.

8. In Section 6-B of the principal Act, for the words "five thousand", the words "ten thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 6-B.**

9. In Section 6-C of the principal Act, for the words "five thousand", the words "ten thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 6-C.**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to inflation in recent years, it has become necessary to enhance the allowances, pension and family pension given to members and ex-members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly. It is also decided that air travel facility be given within the State to the members to execute his responsibilities. Therefore, suitable amendments are proposed in the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

2. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated the 29th March 2012.

GOPAL BHARGAV
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.